CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER

Situation caused by Drought in Orissa

SHRI SANATAN BISI (Orrisa): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a very serious matter. We have, in fact, demanded that we should have a short-duration discussion on this matter. But it has not been had. I can only request that on the statement given by Shri Chaturanan Mishra, we may be given some more time. Whatever I speak will be to the point. I will only seek clarifications from the hon. Minister.

First of all, I thank the hon. Prime Minister as well as the hon. Agriculture Minsiter. Both of them have visited our State in time. They have seen the drought-affected areas. Shri Chaturanan Mishraji had a Press Conference. He had gone to Bolangir. He had held discussions with the Collector, with the Government officials and with the political people. I will only seek clarifications on that account.

So far as the statement is concerned, it is very welcome. In his statement, he has clearly stated, "I assure the state Government that all possible assistance will be provided to the State to tackle the situation". Our Prime Minister has already stated that there shall be no difficulties for the purpose of releasing the fund. So far as the white paper on the drought situation is concerned, in the white paper, the Government of Orissa has clearly stated that there was scantier rainfall. It was known quite earlier. It was also discussed in the Assembly, it was stated that there was 'gaza marudi' in the months of June and July. There was scantier rainfall. It was mentioned in the white paper. It was known much earlier in the months of June and July that there would be a drought in the State.

'Secondly, as per the report of the Minister of Welfare, the undivided district consisting of the three districts of Kalahandi, Bolangir and Koraput has been identified as a 'starvation-death pocket'. In such a situation, it is the duty of the State Government to have a very good public distribution system, a very good drinking water system, self-employment programmes and essential medicines. After all these things, I have given a memorandum to our hon. Prime Minister on 7.9.1996 stating that there is a drought, that there are starvation deaths and that the national social welfare schemes have not been implemented. After that, our hon. Minister of Agriculture, myself and Shri Srikant Jena and Shri Bhakta Das visited the State of Orissa.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Are you putting questions or are you supplementing the statement? *(Interruptions).* I am sorry. As you know, the time available is very short. You must put pointed questions. There are 11 persons to seek clarifications.

SHRI SANATAN BISI: Sir, unless and until I give the back ground....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): No. Bisiji, you are a very experienced and old legislator. The background has been given by the hon. Minister.

SHRI RAM DEO BHANDARI: Sir, he is from Orissa.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I know.

SHRI SANATAN BISI: Our Agriculture Minister, in a Press Conference in Orissa, has clearly stated that it is a national calamity. He has stated that there are starvation deaths. After that statement, the State Government countered it by stating that there was no starvation death. So, in such a situation, what should be the response of the Central Government? This matter was discussed in Lok Sabha. In the discussion that took place in Lok Sabha, the hon. Prime Minister, while replying to the debate, stated on 29th November, 1996 that the *

money is available, but the people are going out in search of jobs, what does it show? It shows that these money are being spent in some other area.

I would like to make another point. Rs. 600 crores were available with the State Government. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You see, a large number of people want to speak on this issue.

SHRI SANATAN BISI: Sir, I won't take more than two minutes. When Rs. 600 crores were available with the State Government for this programme, why couldn't the State Government utilise the same? The utilisation of funds has been poor for lack of a suitable administrative action on the part of the State Government. In view of this situation, the Prime Minister has made those observations. In such a situation when the State Government is stating that no starvation deaths have taken place, and the matter has been referred to the Human Rights Commission, what should the Central Government do? *(Interruptions)* The living wages have not been paid, a large number of people have migrated from Orissa to other places. There have been a number of starvation deaths. When there is a complete breakdown of the constitutional machinery in the State, what should the Central Government do? I request the Central Government to call for a report from the Governor under article 356 of the Constitution of India.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Shrimati Jayanti Patnaik also wants to seek clarifications. Shri V. Narayanasamy. Not present. Shri Ananta Sethi.

SHRI ANANTA SETHI (Orissa): Sir, this is a very serious matter and we may be given some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You should put question only.

SHRI ANANTA SETHI: Sir, I will put questions only. The hon. Minister has made the statement on 27th November, 1996 and we are seeking clarifications on 10th of December, 1996. In his statement, the Minister has mentioned that a Central team has visited Orissa from 17th November, 1996 to 20th November, 1996 to make an assessment of the drought situation and recommend necessary assistance to the State Government of Orissa. May I know whether this team has already submitted its detailed report? What •are the recommendations of the Central team and what action has been taken by the Government in that respect? Have the Government released some funds to tackle the situation, as was promised by them? During the visit of the hon. Prime Minister to the worst affected areas in the district of Bolangir, a declaration was made by him that Rs. 50 crores worth of assistance would be given to the State Government of Orissa immediately to tackle the situation. In the statement itself, the hon. Minister has stated that Rs. 30 crores have been released for poverty alleviation and employment generation purposes. I would like to know whether a sum of Rs. 30 crores was the normal entitlement of the State that has gone from the Centre to the State or was it over and above the normal entitlement that has been given by the Centre as assistance to the State? In addition to this, you have given Rs. 8 crores for accelerated rural water supply programme. I would like to know whether you have released Rs. 30 crores out of Rs. 50 crores or whether you are going to release Rs. 50 crores separately, as has been promised by the hon. Prime Minster.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The Minister will give the latest figures.

SHRI ANANTA SETHI: What about the balance amount? When will it be released? Why has it not been released till now when the Prime Minister as well as the Agriculture Minister have visited

the affected areas? When the Agriculture Minister visited that area, after making on on-the-spot inspection, he has said that the situation in Orissa, created by the drought, was more serious than the Andhra cyclone. The Agriculture Minister has himself said it. I would like to point out that unless somebody goes there and sees for himself the situation that is existing there, he cannot say as to what is going to happen in Orissa in the coming months. The condition of the people in the State is pitiable. So. the assessment has to be made right now. It would not be proper to assess the loss after kharif harvest cutting is over. So, it has to be assessed right now as to how much loss has been suffered by the State of Orissa. So, what is the assistance that the Central Government is going to provide to the Government of Orissa for tackling the situation arising out of the drought?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Thank you, Mr. Sethi.

SHRI ANANTA SETHI: The hon. Member, Mr. Sanatan Bisi, has pointed out.. .*{Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You are not going to controvert...*(Interruptions)...* No, I won't allow a discussion; I am sorry.

SHRI ANANTA SETHI: Regarding the Human Righs Commission, our hon. Member has just mentioned...*(Interruptions)...* I want to seek a clarification. It is good that the Human Rights Commission is going to Orissa to inquire into the starvation deaths. I do not know whether the Human Rights Commission has received any recommendations from the Government. I want to know whether the Government has exhausted all its means of inquiring into the situation or whether they don't have faith in the Orissa Government, as consequence they have directed the Human Rights Commission to go and inquire into the starvation deaths. I want to know from the hon. Minister how many cases the Government has earlier referred to the Human Rights Commission and why they could not get concrete information from their own investigating agencies. They are referring the matter to the Human Rights Commission. Sir it is good that the Human Rights Commission is inquiring into the matter and things will be revealed in the days to come when the inquiry report is made available.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Minister has admitted the seriousness, of the situation in Orissa. Out of 30 districts, 26 districts are affected by drought. Of course, the neighbouring districts in Madhya Pradesh —Bilaspur, Bastar, Raipur~are also affected by the severe drought. There are reports that about six lakhs of people have migrated from the drought-aftected districts to various other parts of India and they are facing a lot of difficulties; I do not want to go into the details. There are also reports about starvation deaths and there are also reports and complaints that the relief sent by the Central Government and the relief ordered by the State Government is not reaching the people. Therefore, I want to know from the hon. Minister how we in the Centre can ensure that the relief allotted to those particular sections of the drought-affected people reaches them. My second question is...*(interruptions)...*

SHRI ANANTA SETHI: Sir, the Government is ...*(interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You have made your points. Let him speak. ...*(interruptions)...* I am not permitting you. ...(interruptions)... No debate. Let him finish.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: My second question is this. As per the present policy and arrangements, there are two types of Relief Funds. One is the Calamity Relief Fund and another is the

National Fund for Calamity Relief. The Calamity Relief Fund is applicable to all States and money is allotted to all of them. If the calamity is of a severe nature, the State Government has to apply to the Central Government for treating the calamity as a calamity of severe nature and for allocating funds to them from the National Fund for Calamity Relief. I want to know from the Minister whether the State Government has applied for treating the calamity as a calamity of severe nature and for allocating funds to them from the National Calamity Fund.

My third question is this. During the last 25 years felling of trees is taking place on a large scale and private distilleries are actually sabotaging the entire ecology and that is also intensifying the severity of the drought situation there. I want to know from the hon. Minister as to how the Government is thinking of tackling this problem on a permanent basis. To protect the ecology of that particular State, about two or three years back there was a prohibition of private distilleries. Now the present State Government has allowed it and on that basis felling of trees is taking place on a large scale which is also changing the ecology. What are the measures which the Central Government can take to protect the ecology and to mitigate the adverse effects of all these calamities? This is all that I want to submit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Shri Vayalar Ravi. He is not there. Shrimati Jayanti Patnaik. Please be brief.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Orissa): Sir, this is a very serious situation and we have been allowed to seek clarifications after so many days.Therefore, at the outset, I want to know this. How many days after a statement is made by the Minister, should the clarifications take place? I want to know this because clarifications are given by the Ministers on the same day when they make a statement. Today on the shortage of wheat and on the rise in the price of wheat, the Minister of Food had given a statement and the clarifications were sought immediately. The other day also the Minister of External Affairs made a statement and the clarifications were sought immediately. As regards Andhra cyclone, it was discussed immediately after the incident. Now you are saying that this is a serious situation. And you just want to go on and finish it soon!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mrs. Jayanti Patnaik,' I would like to assure you that as far as I am concerned, I am prepared to sit till 8 o'clock. I have to seek the permission of the House because there are other Members. There are three or four important Special Mentions also. They are also equally important. There are 14 persons to seek clarifications. That is why you have to be brief. It is not a debate. If you want a debate, you please request the Chairman and I will convey the sense of the House.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: The hon. Minister has said that this is more serious than the cyclone ravage that occurred in Andhra Pradesh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKINATH CHATURVEDI): That is why he wants to reply to the clarifications sought by the Members. He will clarify the position. The Minister has not been able to clarify earlier because there were a number of intervening things. Please go ahead and finish it. You only seek clarifications. No speech, please.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Triloki Nath Chaturvedi): Mr. Singla is not there. Mr. Govindram Miri.

श्री गोविन्दराम मिरि (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सूखे कि स्थिति में हमारी पार्टी ने तीन मेम्बरों की एक कमेटी वहां भेजी थी जिसमें मैं भी शामिल था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि लिफ्ट सिंचाई और अन्य सिंचाई स्रोतों को बढ़ाने की योजना बनाई है तो क्या आप सदन को सूचित करेंगे कि ये योजनाएं क्या हैं? शार्ट टर्म में

योजना क्या है और लॉंग टर्म में योजना क्या है? दूसरे इन्होंने बताया कि राज्य सरकारों के पास 49.01 करोड़ रुपये का आपदा राहत कोष है जिसमें सरकार का 75 प्रतिशत हिस्सा होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और आपकी विजिट के समय से अब तक खास करके इस आपदा से निपटने के लिए इस योजना के तहत कितनी राशि आपने दी है? और जो 588 करोड़ की घोषणा की गई थी जो विभिन्न योजनाओं के तहत थी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी राशि विभिन्न योजनाओं के तहत है और कितनी राशि इस स्थिति से निपटने के लिए है? आगे आपने कहा है कि सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधान मंत्री जी ने 14 नवम्बर को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य के मुख्य मंत्री तथा जनप्रतिनिधियों से वे मिले। आप भी गये थे। आप जनप्रतिनिधियों से मिले और मुख्य मंत्री से मिले तो क्या आप हवाई सर्वे करके आ गये? मैं जानना चाहता हूं कि जो सूखे से वास्तव में प्रभावित लोग है, जो भूख से मर रहे हैं, उन लोगों से मिलने का आपने कोई कष्ट किया और यदि किया तो आप कहां-कहां और कितने लोगों से मिले? दल की रिपोर्ट के बारे में मेरे मित्र ने एक प्रश्न किया है। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, वैसे सरकार तो डिनाई करती है कि कोई भूख से नहीं मरा, लेकिन जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने व्हाइट पेपर निकाला है उसमें मौत का कारण बताया गया है। हम सुहेला अस्पताल में गये थे, वहां पर दो लोग ऐसे मिले जिन्होंने सात दिन से खाना नहीं खाया था, उनके सारे सिस्टम बिगड़ गये थे। जब उनको फीडिंग करा रहे थे तो उनकी बाडी खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनका बाडी सिस्टम इतना खराब हो गया था। तो ऐसे कितने डैथ हुए हैं, इसका कोई आकड़ा आपके पास है? अगर नहीं है तो मेरे पास है। मैं दे सकता हूं। ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): रिपोर्ट आप उनके पास भिजवा दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्दराम मिरी: हां, मैं दे देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मंत्री जी के पास भिजवा दीजिए और चीफ मिनिस्टर के पास भी भिजवा दीजिए।

श्री गोविन्दराम मिरी: 180 लोगों के मरने की स्थिति को तो मिश्रा जी ने स्वीकार किया था लेकिन बाद में यहां आ करके बदल गये। रिपोर्ट में यह बात नहीं आई है जो प्रभावित लोग हैं जिनको अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, उससे निपटने के लिए चिकित्सा से निपटने के लिए आपने क्या उपाय किया है, सरकार ने क्या किया है, यह नहीं दिया है। मेरे जो रिपोर्ट है...(व्यवधान)...

उपसभापति (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप संक्षेप में कहिए, आप उसमें से पढ़िए मत।

श्री गोविन्दराम मिरी: सर, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जो बोलनगीर जिला है उसमें डाक्टरों की 56 पोस्ट हैं और उसमें से 37 पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर डाक्टरों की क्या स्थिति है समुचित चिकित्सा वहां पर लोगों को मुहैया नहीं हो रही है, तो चिकित्सा की क्या समुचित व्यवस्था की गई है? प्रभावित लोगों के हित में, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के हित में वहां पर पूरा पैसा नहीं लगा है ऐसी शिकायत मिली है तो लोगों के पास एक रुपये में 15 पैसे ही जाए और बाकी पैसा बिचौलियों के हाथ में जाए, यह स्थिति न रहे, क्या इसके लिए आपने मानीटरिंग कमेटी बनाई है युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने के लिए?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके यहां से सरकुलर गया है कि आल पार्टी लेवल पर मानीटरिंग कमेटी बनाई जाए। वहां की गवर्नमेंट ने सरकुलर निकाला है कि इट शुड बी केप्ट इन एविएन्स, तो आपके यहां से जो सरकुलर गया है उसको प्रभावी बनाने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं?

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सुरक्षित रोजगार योजना के तहत काम आपने बताया है, मेरी जानकारी है कि अगर एक हजार की जनसंख्या है तो वहां सिर्फ आठ या नौ लोगों को काम दिया गया है और वह तीस रुपये की रोजी भी उनको नहीं मिल रही है। जो 50 हजार की आपकी योजना है उसमें मुश्किल से 14 हजार या 15 हजार से काम होता है बाकी 35 हजार, 36 हजार बिचौलियों के हाथों में चला जाता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी): मिरी जी, आप समाप्त कीजिये।

श्री गोविन्दराम मिरी: वहां मनुष्यों के साथ-साथ जानवर भी मर रहे हैं तो जानवरों के चारे की क्या व्यवस्था की गई है, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री बंगारू लक्ष्मण (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि उड़ीसा के अकाल की स्थिति पर जो चर्चा हुई थी उस समय यहां प्रधान मंत्री जी ने

कहा था कि 585 करोड़ रुपया उड़ीसा सरकार के लिए मंजूर किया गया अंडर डिफरेन्ट स्कीम्स। लेकिन मंत्री जी ने जो ब्यौरा दिया है उसमें 585 का अंक नहीं बैठता है। एक तरफ यह है और दूसरी तरफ वहां के मुख्य मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर दोनों ने यह कहा है कि इसमें से हमको पैसा नहीं मिला है। वस्तुस्थिति क्या है? मंत्री जी कृपया क्लेरिफाई करें।

दूसरी बात यह है कि यहां पर यह कहा गया है कि इम्पलाइमेंट इंश्योरेंस स्कीम को एक्टिवेट करेंगे और उसके अंतगर्त लोगों को काम दिया जायेगा। वहां जो छोटी-छोटी स्कीमें शार्ट टर्म बेसिस पर लागू की जा रही हैं, उसमें यह देखा गया है कि वहा काम सीधे लोगों को न देकर कान्ट्रेक्टर्स को दिया जा रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर हजारों लोग सूखे से पीड़ित हैं तो वहां केवल दस लोगों को काम दिया गया है। जिस गावं में यह प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम दलीमुंडा है। वहां पर क्या सरकार एश्योरेंस करेगी कि इस इम्पलाइमेंट इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो पैसा जायेगा वह इम्पलाइमेंट प्रोवाइड करने में लगेगा? उसी प्रकार से यह भी देखा गया है कि जहां लोगों को काम देने के निमित्त वेतन तय किया गया है, मजदूरी तय की गई है 30 रुपये, उस पैसे में से आधे पैसे 15 रुपये मात्र उनको दिये जा रहे हैं। सरकार की दृष्टि में क्या यह बात भी आई है? उससे किस प्रकार वह निपटेगी?।

यह भी देखा गया है कि जिन गावों में पीने के पानी की किल्लत बहुत है और जहां पर आबादी 1500 की है वहां केवल चार से छ हैंड पम्प लगे हैं। सरकार इन हैंड पम्पों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई विचार कर रही है? उसी प्रकार से यह जो स्टारवेशन डेथ वाली बात है, टेक्नीकली स्टरवेशन डेथ तो कोई हुई नहीं है लेकिन भूख के कारण जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के कारण डेथ्स हो रही हैं। इनकी मीडिया से इंटरनेशनल न्यूज भी रही हैं। इसको देखकर मीडिया के लोग वहां पर न्यूज बनाने के लिए जाते हैं। सीधे मीडिया से बातचीत होती है। वहा यह हो रहा है कि इसको देखकर वहां जो डिस्ट्रिक कलैक्टर्स हैं, जो लोग मीडिया में बोलते हैं या समाचार देते हैं उनको दंडित करने की दृष्टि से, वे यहां तक गये हैं कि उनको पीडीएस स्कीम के अंतर्गत जो राइस मिलता था, स्पेशली सब्सिडाइज्ड राइस दो रुपये किलो के हिसाब से, उसको भी कई जगह बन्द करवाया है। क्या सरकार की दृष्टि में यह बात भी आई है? इसको समाप्त करने की दिशा में वह क्या कर रही है?

पीडीएस स्कीम के तहत जो अनाज उनको देना चाहिये था वह नहीं दिया गया बल्कि यह देखा गया है कि सितम्बर का कोटा उनको नवम्बर में मिला है। ऐसी स्थिति में वहां आज जो स्थिति पैदा हो गई है उसका मुकाबला करना तो कठिन होगा। इसलिए क्या यह एश्योर करेंगे कि जो स्कीम के तहत वहां अनाज जाना चाहिये वह समय पर उनको दिया जायेगा?

इसी प्रकार लार्ज स्केल में माइग्रेशन जो हो रहा है उसका भी वहां पर हिसाब-किताब नहीं रखा जा रहा है। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि वहां जो यह बड़ी संख्या में माइग्रेशन हो रहा है उसका भी वहां पर हिसाब-किताब रखा जाए, सेंसेस रखा जाए ताकि यह पता चले कि किस गांव में किस प्रकार के लोग बाहर गए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

अभी फोडर की बात कही गई।

उपसभध्यक्ष (श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी): फोडर की बात आ गई है।

श्री बंगारु लक्ष्मणः इसी प्रकार से, क्या सरकार वहां की जो स्थिति है उसको देखते हुए कोई कीचन चलाने की, उनको पका-पकाया खाना सीधा मिले, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार सोच रही है? यह भी हम जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानना यह चाहूंगा कि भूख से मरने की जो खबर है इस संबंध में केंद्रीय सरकार की क्या सूचना है? हम सभी लोग जानते हैं — मेरा एक निवेदन होगा कि प्राकृतिक आपदा के समय राजनैतिक आधार पर चीजों को नहीं देखना चाहिए मैं सबसे पहले यह निवेदन इस सदन में करना चाहता हूं।

महोदय, दो अवसरों पर, आपको और हमें भी अनुभव है कि बाढ़ की स्थिति हो या सूखे की स्थिति हो, लोग जब भूखे रहते हैं और अचानक जब उनको खाना मिल जाता है कि उनको डाइरिया और डिसेन्ट्री आदि इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और वे मर जाते हैं। तो क्या इस तरह की बीमारियों से मरने वालों को भूख से मरना कहा जाएगा? इस पर दलीय आधार पर नहीं बल्कि जो वस्तुस्थिति है उस आधार पर विचार करना चाहिए। यह कोई शिकायत की बात नहीं है। प्राकृतिक आपदा में जो गरीब लोग मर रहे हैं इसको राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कबूल करना चाहिए। इसलिए हम जानना चाहेंगे कि भूख से मरने वालों की संख्या केंद्रीय सरकार के पास अभी तक कितनी है?

दूसरी बात, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जिन्को ड्राउट प्रोन जिला कहा जा सकता है। जैसे कालाहांडी है और कुछ जिले हैं, जहां से लगातार कई वर्षों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वहां के लोग सूखे के कारण भूख प्यास से तड़पते रहते हैं। तो ऐसे जो जिले हैं उनको सूखे से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय सरकार के पास कोई विशेष योजना है? अगर है तो उसको किस रूप में इस राज्य में लागू करने की सरकार की कोशिश है?

तीसरी बात, हमने कल या परसों देखा, संभवतः कल या परसों दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था उस क्षेत्र की जो महिलायें हैं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, पुरुषों का इंटरव्यू लिया जा रहा था — आप लोगों ने भी शायद इसको देखा होगा, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि हमको कोई राहत नहीं मिली। जब अधिकारी से पूछा गया तो अधिकारी ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको मिलता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि देहातों में, शहरों में सभी को राशन कार्ड नहीं मिले हुए हैं। इसलिए इस प्राकृतिक विपदा में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है सरकार की तरफ से तत्काल इसकी जांच करके उनके लिए राशन कार्ड या किसी और कार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको राशन की और अन्य सहूलियतें मुहैया की जा सकें और उनको भूख के कारण मरने से बचाया जा सके। हम जानना चाहेंगे कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार को क्या सूचना है वह मंत्री जी बतायें?

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं, सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जो भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार राहत के लिए कदम उठा रही है और जो सामग्री मुहैया करा रही है, वह उन तक पहुंच पा रही है या नहीं, इसको देखा जाए। अगर नहीं पहुंच पा रही है तो उसको ठीक से पंहुचाने की व्यवस्था केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर करनी चाहिए ताकि वहां के लोगों को इस विपत्ति से मुक्ति दिलाई जा सके।

†[मंत्री जलाल उद्दीन अंसारी बिहार]:

आप सभापति महोदय - मैं जानना चाहूंगा कि भूख से मरने वालों की जो खबर है उस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या सोच है - हम सभी लोग जानते हैं मेरा एक नुक्ता होगा - कि ड्राउट आपदा के समय - राजनीतिक आधार पर चीजों को नहीं देखना चाहिये - मैं सब से पहले नुक्ता इस सदन में रखना चाहता हूं -

महोदय दो मौकों पर - आपको और हमें भी अनुभव है कि बाढ़ की हालत हो या सूखे की हालत हो - लोग जब भूखे रहते हैं - और अचानक जब उनको खाना मिल जाता है - तो उनको डायरिया और डिसेंट्री वगैरह इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं - और वे मर जाते हैं - तो क्या इस तरह की बीमारियों से मरने वालों को भूख से मरने वाला कहा जायेगा - इस पर दिखावे आधार पर नहीं बल्कि ठोस आधार पर विचार करना चाहिये यह कोई शिकायत की बात नहीं है - ड्राउट आपदा में जो गरीब लोग मर रहे हैं - उसको राज्य सरकार को भी और केन्द्र सरकार को भी कबूल करना चाहिये - इसलिये हम जानना चाहेंगे कि भूख से मरने वालों की संख्या केन्द्र सरकार के पास अभी तक कितनी है -

दूसरी बात कुछ ऐसे इलाके हैं - कुछ ऐसे जिले हैं - जिनको ड्राउट प्रोन जिले कहा जा सकता है - जैसे कालाहांडी है और कुछ जिले हैं जहां से लगातार कई

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

ورشوں سے ایسی شکایتیں آرہی ہیں۔
کہ وہاں کے لوگ سوکھے کے کارن بھوک پیاس
سے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو ایسے جو ضلع ہیں۔
انکو سوکھے سے ملک کرانے کیلئے کیندر سرکار
کے پاس کوئی وشیش یوجنا ہے اگر ہے
تو کس روپ میں اس راجیہ میں لاگو کرنے
کی سرکار کی کوشش ہے۔

تیسری بات ہم نے کل یا پرسوں دیکھا
سمجھوتیہ کل یا پرسوں دوردرشن پر
دکھایا جارہا تھا کہ اس علاقے کی جو بھیانک
ہیں انکا انٹرویو لیا جارہا تھا پرشوں کا
انٹرویو لیا جارہا تھا۔ آپ لوگوں نے
بھی شاید اسکو دیکھا ہوگا۔ اسمیں کچھ
لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کوئی راحت نہیں
ملی۔ جب ادھیکاری سے پوچھا گیا تو
ادھیکاری نے کہا کہ جنکے پاس راشن کارڈ
ہے انکو ملتا ہے۔ لیکن آپ سبھی جانتے
ہیں کہ دیہاتوں میں شہروں میں سبھی
کو راشن کارڈ نہیں ملے ہوئے ہیں۔ اسلئے
اس پر ارتک وچار میں جنکے پاس راشن
کارڈ یا کسی اور کارڈ کی ویوستھا کرنی
چاہیئے۔ تاکہ انکو راشن کی اور دوسری
سہولتیں مہیا کی جاسکیں اور انکو بھوک
کی وجہ سے مرنے سے بچایا جاسکے۔ ہم
جاننا چاہینگے۔ کہ اس سلسلے میں کیندر کی
سرکار کی کیا سوچنا ہے۔ وہ منتری جی
بتائیں۔

انتم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں
سبھی سدسیہ اس بات سے سہمت ہونگے
کہ جو بھی کیندریہ سرکار یا راجیہ سرکار
راحت کیلئے قدم اٹھا رہی ہے اور جو
سامگری مہیا کرا رہی ہے۔ وہ ان تک
پہونچ پا رہی ہے یا نہیں۔ اسکو دیکھا جائے۔
اگر نہیں پہونچ پا رہی ہے تو اسکو ٹھیک سے
پہونچانے کی ویوستھا کیندریہ سرکار اور
راجیہ سرکار دونوں کو ملکر کرنی چاہیئے۔
تاکہ وہاں کے لوگوں کو اس وپتی سے ملکتی
دلائی جاسکے۔] "ختم شد"

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): श्री राघव जी। संक्षेप में कहिए। मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अंचल में भूख से कई मौतें हुई हैं। मेरे पास समाचार-पत्रों की बहुत की कटिंग है जिनमें नामों का उल्लेख है, लेकिन मैं यहां पर उन नामों का उल्लेख नहीं करूंगा।

महोदय, सरकारी वक्तव्य में हमेशा यह कहा जाता है कि भूख से मौतें नहीं हुई है, बीमारी से हुई है, अन्य बातों से हुई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में ऐसी कितनी मौतें हुई हैं जिनका कारण भूख है या भूख से उत्पन्न बीमारियां हैं?

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान टाइम्स में पांच दिन पहले मुख्य पृष्ठ पर छपे एक समाचार को आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो उसमें यह भी उल्लेख है कि कलक्टर ने उस खबर को दबाने की कोशिश की, धमकी भी दी और राशन भी बंद किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है, उसकी जांच की गई और अगर जांच की गई है तो इस

कलक्टर के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? मैं जानना चाहता हूं कि आपको यह भी जानकारी हो गई होगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक अध्ययन दल वहां पर गया था। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। क्या वह रिपोर्ट आप तक पहुंच गई है अगर पहुंची है तो उसके संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं पहुंची है तो क्या आप उसे प्राप्त कर के उसके संबंध में कार्यवाही करेंगे अथवा नहीं? केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचलों में सूखे से निपटने के लिए भूख से होने वाली मौतों से निपटने के लिए अभी तक सिर्फ इस मद के लिए क्या सहायता की है? अंत में, मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये की इस काम के लिए मांग की है। वह 100 करोड़ की मांग अब तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, अगर पहुंची है तो अभी तक आपने कितना रुपया रिलीज़ किया है, कितना करने वाले हैं और अगर बिलकुल नहीं किया है तो कब तक रिलीज़ करेंगे। यह बातें मैंने संक्षेप में कह दी हैं।

DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL (Maharashtra): Sir, there is no fund for calamity relief and drought relief. In fact, it is the Five Year Plan Fund. So, I want to know how much amount was given to the State Government for this calamity and drought relief other than the amount which was given under the JRY and many other relief measures. This is my first question. The State Government says that it has not received any fund.

Secondly, all these deaths arc taken as a blot on the administration, and, therefore, each and every Government denies that there are any starvation deaths. These deaths were, in fact, due to indirect reasons, i.e. undcr-nutrition and malnutrition. Sir, I want to know whether the Government has come across any cases of blindness in children due to deficiency of vitamin-A. Various ingredients are deficient in food and their effects are also many. Due to starvation, their growth is affected, eyesight is lost and they become blind. Have you come across any such cases due to starvation?

Thirdly, there was apathy on the part of the Government of Orissa because the fact that there was failure of monsoon and a large tracts of land in the State was affected by drought was known in July or August. But, the State Government was not at all active till it was *gheraoed* and a *dharna* was organised outside the State Assembly. Only then the State Government woke up. Even today, I would like to know how many emergency centres has the Government opened there and whether they arc adequate to the needs of the people there.

Sir, this area is already notorious in the whole world because the KBK — Kalanhandi, Bolangir and Koraput — area is always a drought-prone area. Sir, many Prime Ministers and dignitaries visited this area and made it a point to sec that various poverty alleviation programmes are implemented there. They wanted to highlight these programmes by giving some aid to such areas, and even today one of the places is the Bolangir district. Sir, neither the State Government nor the Central Government has done anything in the last twenty years to save these three districts from drought. I want to know what long-term and short-term measures the Government is going to take so that these people's miseries arc alleviated. Sir, these are my questions.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 27 तारीख के अपने बयान में उड़ीसा में सूखे के विषय में बहुत विस्तृत ब्यौरा रखा है। यह नियति का अपना निर्णय है कि हमारे देश में कोई राज्य सूखाड़, कोई राज्य फ्लड और कोई राज्य साइक्लोन से ग्रसित हो जाता है। सब से पहले तो मैं जलालुदीन अंसारी जी की बात से पूरी तरह से सहमत होता हूं कि ऐसी विकट अवस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिये। हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि दलगत रूप से इसका फैसला हम करें क्योंकि गरीब का न कोई दल होता है, न कोई जाति होती है। कालाहांडी, बोलानगिरि और कोरापुट जोन जो हैं — चाहे कांग्रेस का राज्य हो, जनता दल का राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी का राज्य हो, कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य हो — यह राज्य को नहीं देखता। इस इलाके में सूखा पड़ता ही है।

हम लोगों ने पिछले 20 सालों में कई बार देखा है। पिछले 11 सालों में तो इसी सदन में पता नहीं कितनी बार मां ने अपने बच्चे को बेचा, बाप ने अपनी जवान बेटी को बेचा दो रोटियों के लिए — ऐसे कालाहांडी के इतिहास को हमने पढ़ा है और इस सदन में उठाया है। महोदय, मेरा सीधा सवाल मंत्री महोदय से है कि हम इसके परमानेंट साल्यूशन के बारे में क्या सोच रहे हैं? हमारे सामने दो चीजें हैं। एक चीज तो इमीडिए कंट्रोल की है — हम डैमेज कंट्रोल मैनेजमेंट क्या करने जा रहे हैं और दूसरा हमारा लांग टर्म, परमानेंट साल्यूशन क्या होगा। उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

महोदय, रेन फेड क्राप जहां भी हैं — हमारे साइंसदान, हमारे बड़े बड़े अनुसंधान केन्द्र इस चीज पर अनुसंधान कर रहे हैं कि इस रेन फेड क्राप को किस तरह से बदल लें कि जहां बारिश न भी हो और माइस्चर कन्टेंट कम भी हो जाए तब भी फसल हो सके। वैसे बीजों के उत्पाद की कोशिश जारी है। मंत्री महोदय चूंकि उसी विभाग के इनचार्ज भी हैं तो मैं उनके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस इलाके के लिए जहां 30 जिलों में से 26 जिले इससे ग्रसित हैं वैसे जिलों के लिए आपने क्या अनुसंधान निकाला है कि वहां के लोगों के लिए ऐसे कोई अनाज, ऐसे कोई बीज पैदा किए जाएं कि ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से या कैनाल इरीगेशन के माध्यम से या और किसी माध्यम से वे फसल ले सकें और उनके खेतों को उपजाऊ बनाया जा सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब कुछ उनको जवाब देने दीजिए।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। मैं लम्बा भाषण नहीं देता। जवाब भी सुन लूंगा।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि डा० राव की एक गारलैंड कैनाल की कल्पना थी जिसमें नार्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की सारी रिवर्स थीं। यहां पानी का झगड़ा लगा हुआ है कि कहीं पानी ज्यादा है कहीं कम। गारलैंड कैनाल बनाकर पूरी इंटेग्रिटी की बात भी कही हुई है। क्या उसके बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि उससे काफी इरीगेशन होगा, ऐसे खेतों को इलाकों को उपजाऊ बनाया जा सकता है या पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। क्या उसके बारे में सरकार सोच रही है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, ह्यूमन राइट्स की बात उठी है कि स्टारवेशन डेथ्स की इंक्वायरी करने के लिए ह्यूमन राइट्स जाकर उसकी इंक्वायरी करे। महोदय, मुझे ह्यूमन राइट के कार्यकलाप से कोई आपत्ति नहीं है। पर मुझे आपत्ति इससे है कि अगर तो सरकार ने यह फैसला कर लिया हो और इस स्लोगन को चरितार्थ कर दिया हो — फूड फार आल, जिस दिन आफ फूड फार आल इंप्लीमेंट कर देंगे और उसके बाद कभी कोई भूखा मरे तो ह्यूमन राइटस से उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं। किंतु मैं जहां तक जानता हूं फूड फार आल का कन्सेप्ट अभी तक यहां लागू नहीं हुआ है। हां हम यू०एन० में इसके सिगनेट्री जरूर हैं। किंतु कोई कानून हमने अभी तक नहीं पास किया है।

30 जिलों में से 26 जिले जो ग्रसित हैं और करीब 226 ब्लाक्स ग्रसित हैं उनके लिए उड़ीसा सरकार ने करीब 577 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग की है। यह मांग पत्र सरकार को पहुंच चुका है और इस सुखाड़ की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए ही प्रधान मंत्री जी ने 14 तारीख को उड़ीसा का दौरा किया था और उड़ीसा की तकलीफ को समझा था। पर अभी तक कितना रुपया आपने वहां भेजा है? मुझे सुनने में आया है, मुझे पता लगा है कि केन्द्र सरकार कहती है कि पहले 25 प्रतिशत दिखाओ तब मैं 75 प्रतिशत देता हूं। महोदय, यह हाल तो वह हो गया कि इंडियन मेडिकल इंस्टीटयूट में एक पेशंट पहुंचा और उसको खून की जरूरत थी। उसे कहा कि दो बोतल की तुमको जरूरत है किंतु दो बोतल पहले तुम दो तब तुम्हें दो बोतल हम देंगे। लेकिन अगर उसके शरीर से दो बोतल निकाल लेंगे तो वह पेशंट खून लेने लायक ही नहीं रहेगा। वह मर जाएगा। उड़ीसा की हालत यही है कि वहां से अभी कुछ मांगिए मत आप। जिस राज्य के 30 जिलों में से 26 जिले सूखाग्रस्त हों वहां मांगना कुछ नहीं है। वहां कुछ देकर अभी जो डैमेज कंट्रोल है उसको मैनेज करने की व्यवस्था करें और उसमें क्या कार्यवाही आप कर रहे हैं, आप कृपया यह सदन को बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है और प्रश्न पूछे हैं तथा जो गहरी चिंता उन्होंने प्रकट की है, मैं उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं और यह आश्वासन भी देता हूं कि उनकी चिंता के अनुकूल ही हमारी सरकार काम करेगी और भूख से बचाने के लिए सारे प्रयास किए जायेंगे। अब पहले मैं उन सवालों को ले लेता हूं जो क्लेरीफिकेशन के लिए पूछे गए हैं। एक प्रश्न यह उठा है कि वहां परमानेंट इंतजाम कौनसा आप लोग करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं और शायद देश के लोग भी इसको जान लें तो अच्छा है। मैंने इस बात

को हिस्टोरिकली जांचने की कोशिश की कि कालाहाण्डी और इस क्षेत्र में, बोलंगीर और कालाहाण्डी में खास करके क्यों बार-बार ऐसा होता है तो मैंने पाया कि आजादी के दस वर्ष बाद तक कालाहाण्डी से लोगों को सरप्लस अनाज मिलता था। वहां इतने घने जंगल रहे। लेकिन जंगल काट लिए गए और इसके बाद यह परिणाम हुआ कि कालाहाण्डी बराबर सूखे की चपेट में आने लगा, अकाल कहिए, सूखाग्रस्त कहिए, उसकी चपेट में आने लगे। मेरा ख्याल है कि देशवासी अगर सबक लें जंगल काटने के बारे में तो उससे अच्छा होगा कि आगे कम से कम दूसरा कालाहाण्डी नहीं होगा और हम माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि इस सवाल को आम लोगों तक पहुंचायें। मैंने यह जरूर कहा है कि उड़ीसा की हालत तो बहुत ही गंभीर है। इस मामले में नहीं कि तोल कर कहा है कि वहां साइक्लोन ज्यादा है, या वहां ड्रॉट ज्यादा है, यह तोला नहीं जाता। उड़ीसा एक बहुत गरीब राज्य है। उड़ीसा की एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशिएंसी भी वैसी नहीं रही है। और सूखाड़, अकाल दूसरे किस्म के हैं। यह अभी तक जो संकट है वह संकट और भी गहराएगा जब तक नई फसल नहीं आती है, लगभग 6 महीना, 7 महीना लोगों को खिलाने का प्रश्न है, इस अर्थ में हमने कहा है। हम कोई साक्लोन को अंडरमाइन करने के लिए या इनको बढ़ाने के लिए यह नहीं है, कंप्लीकेशन जो है सिचुएशन का इसलिए हमने आप लोगों का और देश का ध्यान इस पर आकर्षित किया है। मैं इसी उद्देश्य से गया भी था। उन्होंने पूछा कि आप लोगों से मिले। हम बोलंगीर में गए, मिले और आपकी पार्टी के लोगों से भी मिले। ....(**व्यवधान**)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: पार्टी के लोगों से मिलिए या नहीं, लेकिन जनता से मिलिए। ....(**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र: नहीं-नहीं इनको भी बुला ....(**व्यवधान**)

श्री गोविन्दराव मिरी: मंत्री महोदय, आपने कहा कि बी॰जे॰पी॰ से मिले। ....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, उनको जवाब देने दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र: देखिए, अभी तो मेमोरेंडम दिए हैं तो आप बताइये हम कैसे जवाब देंगे। ....(**व्यवधान**)

अब हम आपसे यह कहना चाहेंगे और एक-एक प्रश्न का जवाब दे देते हैं कि गंभीरता बहुत है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी भी ताकत होगी कि किसी को न भूख से मरने दें और न बहुत ज्यादा परेशानी उनको उठानी पड़े, गवर्नमेंट यही कर सकती है। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं बल्कि मैं इसको नाजायज़ समझता हूं कि इस संकट की घड़ी में कोई हमसे कहे कि उड़ीसा में आप आर्टिकल 356 लगाइये या वहां की सरकार को भंग कीजिए यह ठीक नहीं। ....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष: ठीक है, हो गया, अब उनको जवाब देने दीजिए ....(**व्यवधान**) बिसि जी, हो गया। ....(**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र: आर्टिकल 356 में गवर्नमेंट की बहाली तो नहीं होती, जो होती है वह आप सब लोग जानते हैं। ....(**व्यवधान**)

श्री सनातन बिसि: मैं क्लैरीफाई करना चाहता हूं ....(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष: उनको पहले क्लैरीफाई कर लेने दीजिए ....(**व्यवधान**) बिसि जी, मिनिस्टर जी को पहले उत्तर दे देने दीजिए। ....(**व्यवधान**)

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I am not standing here to seek clarifications. ...*(Interruptions)*... I am giving clarifications sought by Members.

मैं उसको बिल्कुल नाजायज़ समझता हूं, यह सही बात नहीं है। मैं इसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्य बोले हैं कि जो भूख से मर गए हैं उनके बारे में हमने ह्यूमैन राइट्स को दिया है, हमने दिया है। हमने अपने जीवन में यह देखा है कि जिस पार्टी का राज रहता है वह कहते हैं भूख से नहीं मरे हैं और जब विरोध पक्ष में आते हैं तो कहते हैं कि भूख से मरे हैं। यही एक ही पार्टी का चरित्र हमने अपने जीवन में देखा है।

हम ने सदा के लिए इस को हल करने के लिए उन को भेज दिया है। हमारे पास एक भी सरकारी रिपोर्ट नहीं है कि भूख से मरा है। हमारे पास अखबार वाले देते हैं। वहां से 26 आदमियों के नाम दिए गए। हमने कलेक्टर से रिपोर्ट मांग ली। उस पर एक कमेंट लिखा हुआ है। हम ने सब ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेज दिया। अब न आप कुछ बोलिए, न अखबार वाले कुछ बोलें और न हम कुछ बोलें। ....(**व्यवधान**)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मंत्री महोदय, मेरा सवाल बड़ा सीधा-सा है। आप तो एक ऐसे दल से आते हैं जोकि आवाज उठाता रहा है। मैंने सीधा-सा सवाल किया है कि या तो कंट्री में यहां की गवर्नमेंट ने फैसला किया हो और "फूड फॉर ऑल" का कंसेप्ट एडॉप्ट कर लिया हो, तो उस के बाद आप स्टारवेशन डेथ की इंक्वायरी के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल के रोज जो लोग दिल्ली में या बिहार में या दूसरे राज्यों में भूख से मरते हैं तो क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन उस के लिए इंक्वायरी करने जाता है? ह्यूमन राइट्स को इंक्वायरी में लाकर यह एक पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर माननीय सदस्या समझते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर हुआ है तो गलतफहमी में हैं। वह यह भ्रम दूर कर लें। हमने ने यह सदा के लिए खत्म कर देना चाहा है। हम लोग सभी गारंटेड हैं, वचनबद्ध हैं कि भूख से किसी को नहीं मरने देंगे। इसी बात के लिए सरकार है और यह सवाल नहीं है कि राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, केन्द्र के लोग भी जिम्मेदार हैं अगर कोई नागरिक भूख से मरेगा तो नागरिक क्या अलग-अलग होते हैं? हम को आप ने कृषि मंत्री बनाया है, खाद्य मंत्री बनाया है, फिर आदमी भूखा रहेगा, मरता रहेगा तो हम किस बात के मंत्री हैं? यह एक लज्जाजनक स्थिति है, इसलिए हम इस से निपटना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार के जो पदाधिकारी हैं, उन का सिटीजंस के प्रति बड़ा "कैलस एटीट्यूड" है। इसलिए हम ने इस को कर दिया है और हम को यह कहते हुए प्रसन्नता है। यह बात हम ने उस हाउस में भी कही थी और यहां भी कहे देता हूं कि हम को वहां के मुख्य मंत्री का फुल कोआपरेशन मिला था और वहां की सरकार का भी मिला था। तब हम ने यह कहा था कि आगे से सब को सबक हो जाएगा। मान्यवर, हम ने कलेक्टर को पूरा पैसा दे दिया और वह कहेगा कि जंगल से दूर है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। तो यह सरकारी नौकरी है या ससुराल है? हम ने कहा है कि उन को पनिशमेंट होगा अगर हमारा बस चलेगा। हम ने होम मिनिस्टर को लिखकर दिया है। हम ने यह कह दिया है कि सर्कुलर जारी किया जाए। उड़ीसा गवर्नमेंट का अपना नियम है कि अकाल के टाइम अगर कोई भूख से मरेगा तो वहां के डी॰एम॰ को रिस्पांसिबल होना होगा। मैं समझता हूं कि यह करना होगा। The administration must be tightened यह कोई मजाक है कि कोई मरता रहेगा और हम ऐसे ही देखते रहेंगे? इसलिए हम ने यह किया है और हमारी कोई राजनीतिक भावना नहीं है। अगर राजनीतिक भावना, दुर्भावना रहती तो हम आप को बता देते हैं कि मुख्य मंत्री उस वक्त बाहर गए हुए थे और अखबारों में लगातार उड़ीसा के बारे में छपने लगा कि बहुत भयंकर हालत है। मैंने बिना मांगे नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से उन को किस्त का रुपया दे दिया और उन का मेमोरेंडम भी नहीं है। मुखर्जी साहब यहां बैठे हुए हैं, बिना मेमोरेंडम के आम तौर पर वह नहीं दिया जाता है, लेकिन बार-बार जब रिपोर्ट आने लगीं तो हम ने दे दिया। उस के पहले निर्णय था कि आप **सुओ मोटु** भी इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो हम ने उसे कर दिया है और हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। एक ही भावना है कि सभ्य सरकार कहलाते हुए असभ्य काम नहीं करना चाहिए। यही हमारा एक मात्र उद्देश्य है। हम फिर से आप से कह रहे हैं कि हम को कुछ नहीं है।

मान्यवर, जब से मुख्य मंत्री आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गिर्जड अप हुआ है। हम ने प्रेस को कहा था, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा now the administration has geared up उन्होंने कोशिश की है। इसलिए उस तरह की कुछ बात नहीं है।

अब कहा गया कि कितना रुपया दिया है और पब्लिक के पास रिलीफ पहुंच रहा है कि नहीं? यदि नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग सब जाकर देखिए और कहिए कि कहां नहीं पहुंच रहा है? मान्यवर, हम ने ठीक ही कहा है और मुख्य मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि वह उस प्रेस कांफ्रेंस में थे और कहा है कि "ऑल पार्टी कमेटी" बनेगी। अब हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। तो जो वहां हुआ है वही बात तो हम आकर आप को रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा है। इसलिए हम उसको करेंगे।

अब यह पूछा गया कि पैसा आप ने कितनी दिया? आप देखिए, दो ही फंड थे। एक तो था कैलेमिटी रिलीफ फंड जिसे हमने पहले ही रिलीज कर दिया, दूसरा था नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड। उस में बहुत कम पैसा रहता है। एक साल में 140 करोड़ रहता है। और इस साल इतना ज्यादा हुआ है, कि आप देख ही रहे हैं। इसलिए दूसरा इंतजाम, जो पहले से सब सरकार करती आ रही है खासकर के पिछले कुछ वर्षों में, वह यह है कि विभिन्न विभागों की जो मद है, उससे रुपया निकालकर हम उनको अवेलेबल कराते हैं ताकि कोई मरे

नहीं, कोई संकट में न रहे और संकट में तुरंत उनके हाथ में रुपया आ जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा था कि करीब 428 करोड़ रुपया उनके पास उपलब्ध है, जिसमें से 243 करोड़ रुपया रिलीज किया जा चुका है। मैं जिस दिन वहां था, मुख्य मंत्री ने और उनके मुख्य सचिव ने कहा था कि 216 करोड़ रुपया उनके पास उपलब्ध है खर्च करने को। उन्होंने मांगा था जरूर करीब 585 करोड़, जो सब हम लोगों ने देखा। मैंने जो भी फिगर यहां दी है, माननीय सदस्या जी, वह स्टेट गवर्नमेंट की फिगर दी हैं। यह ठीक है कि दिसंबर के अंत तक क्रोप कटिंग होगी, उसके पहले जितना आया था उसमें लिखा हुआ था और उसी को देखकर हमने कहा। हमारा वहां न कोई आफीसर है, न हमारा कोई सोर्स है, हमारा कुछ नहीं है, जो है सो सब एक ही है।...(**व्यवधान**)...

श्री अनन्त सेठी: यह असिस्टेन्स है या...(**व्यवधान**)...

श्री चतुरानन मिश्र: आप सुनिए तो। आप सुनते ही नहीं, तो क्या करें।

श्री गोविन्दराम गिरी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था...(**व्यवधान**)...

श्री चतुरानन मिश्र: बीच में हम नहीं करेंगे। जब आप बोल रहे थे तो हम तो बीच में नहीं बोले। कुछ बोल रहे हैं तो आप भी सुन लीजिए। जितनी बात पूछनी हो, बाद में पूछिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): चतुरानन जी, आप तो अपनी चतुराई से चलते चलिएगा।

श्री चतुरानन मिश्र: हम तो चलते जाएं, लेकिन पहले चलने दें तब न।

अच्छा, यहां तक यह चर्चा की गई है कि क्रोप इन्सोरेन्स स्कीम होनी चाहिये, बिल्कुल होनी चाहिये। हम पूर्णतया सहमत हैं। आप लोगों को पत्र भी लिखा था। आपके सुझाव आए। उस आधार पर हमने स्कीम भेज दी है। वह आपके वित्त मंत्रालय में पड़ी हुई है। अब उसकी बात जंचेगी तो करेंगे। पूरा उसका असेसमेंट होगा, जैसे कि राज चलाते हैं। हम कोई किंग तो नहीं हैं, राजा तो नहीं हैं। आपके मंत्री हैं। जो नियम बना हुआ है, उसके मुताबिक हम काम करते हैं। आप कहते हैं कि कितना दिया, कितना दिया, दे सकता है कोई मंत्री। जो रूल है, रेगुलेशन है उसके मातहत नियमबद्ध काम होगा। यहां तो राजा सिस्टम है नहीं कि जो आप हमसे कह रहे हैं कि कितना दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राज्य के लिए भारी संकट होगा। रुपया तो खर्च हो जाएगा, लेकिन उसके विकास में बाधा पहुंचेगी क्योंकि खर्चा तो हम कर लेते हैं। यही एक चिंता की बात है। यह आंध्र प्रदेश में भी होगा, असम में भी होगा या जहां कहीं भी विपत्ति आएगी, वहां खर्चा होगा और यह बात आएगी। तो टेन्थ फाइनेन्स कमीशन ने जो किया था, उस सीमा के अंदर हमने काम करके इसको किया है, लेकिन इस पर सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जो घटना किसी राज्य में घटती है तो उस राज्य की प्राकृतिक विपदा के कारण बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा न बढ़ जाए और न अनइवन डवलमेंट हो। अब इसको कैसे रोका जाए, अभी तो इस पर इतना हम कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान उस ओर है।

महोदय, महिलाओं की संख्या हमने नहीं कही है, जो है। महिलाओं के लिए हमने स्टेटमेंट में भी कहा था, अखबारों वालों से भी कहा था और उस सदन में भी कहा था कि मिडिल क्लास वाइव्ज के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं है। जो नया नया कोड बना हुआ है, हम लोग उनको नेगलेक्ट करते हैं। उड़ीसा जैसे राज्य में बहुत सी महिलाएं हैं, जो घर से निकल पाती हैं या कम से कम दूसरे के खेत में जाकर मिट्टी का काम करना पसंद नहीं करती। हमने वहां वीमेन आर्गेनाइजेशन को बुलाया। उन लोगों को कहा कि आप लोग हेंडीक्राफ्ट या जो कुछ इनका यहां चलता हो, उस तरह की स्कीम बनाकर दीजिए, हम उसके लिए सहायता करेंगे। अभी तक हम यही कर पाए हैं। आप तो हमारी मदद कर सकती हैं, माननीय सदस्या। जाकर कहिए, क्या-क्या उनके लिए सूटेबल है। हम आते हैं आपकी मदद के लिए। इस तरह की भावना न हो कि हम कम्युनिस्ट हैं इसलिए आपकी मदद नहीं करेंगे। इसको भूल जाइए, एकदम भूल जाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, वह चेयर परसन रह चुकी हैं उस कमीशन की, इस वजह से उन्होंने यह सवाल पूछा।

श्री चतुरानन मिश्र: हम भी तो इसी के चलते उनसे मदद मांग रहे हैं और उनका एक दूसरा रिश्ता भी है इसलिए भी मदद मांग रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

दूसरी बात, यहां तक एरीगेशन प्रोजेक्ट का है, जो वहां से दिया गया था, वह तो आप जानते ही हैं कि इस बार यह तय किया गया है, जो अधूरी स्कीम बहुत वर्षों से पड़ी हुई हैं उसके लिए कुछ रुपया आप लोग बजट में पास कर चुके हैं, उसके मुताबिक हमारा यहां तक ख्याल है, 92 करोड़ रुपया उड़ीसा को उनकी स्कीम के तहत सिंचाई के लिए अलग से दिया गया है। जहां तक दो रुपए किलो चावल बेचने का प्रश्न है, वे बेचते हैं, जरूर बेचें लेकिन केन्द्र सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि सारे देश में दो रुपए किलो चावल बिकवा दे, यह केन्द्र सरकार की ताकत के बाहर की बात है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते।

जहां तक सवाल है जितना अन्न चाहने का, तो जितना अन्न आपको चाहिये, जो सरकार देती है, वह अन्न भी पूरा देंगे, पैसा भी पूरा देंगे, हिसाब-पत्र सब बाद में करेंगे, जब यह सब हो जाएगा, नई फसल आ जाएगी तब एकाउंटिंग करके एडजस्ट कर दीजिएगा। विकास की दौड़ में आप पीछे नहीं रहें, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं हो लेकिन अभी तो सब मिलकर जान बचाने के लिए चलिए।

डाक्टरों की कमी है, राज्य सरकार ने बहाल किया था, डाक्टर नहीं आए, तो फिर से उनको कोशिश करनी पड़ रही हैं और अगर बाहर से लोग डाक्टर भेज सकें तो राज्य सरकार लेने के लिए तैयार है।

मॉनिटरिंग के लिए जो आपने कहा, तो हमने आपको बता दिया कि आल पार्टीज़ कमेटी बन जाती है तो वही मॉनिटरिंग करेगी।

प्रधान मंत्री जी के बारे में जो आपने पूछा कि उन्होंने 50 करोड़ कहे थे, यह तो उन्हीं से पूछते तो अच्छा होता, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक उन्होंने भी उसी तरह हिसाब लगाकर के दिया था। उसमें 30 करोड़ जे०आर०वाई० और ई०ए०एस० के अंडर हैं, 8 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए हैं और फिर सी०आर०एफ० वगैरह का जो रिलीज़ हुआ था, सब मिलाकर के है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): इन्होंने चतुरता के साथ जवाब दे दिया, अब तो आप संतुष्ट होंगी।...(**व्यवधान**)...

श्री चतुरानन मिश्र: अब आपको सच बात कह दी तो आप हम पर बोलने लग गए।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जयन्ती जी, देखिए महत्वपूर्ण बात उन्होंने पहले कह दी है कि आपकी बेकवर्डनेस वहां बढ़ेगी नहीं।

श्री चतुरानन मिश्र: हम यह नहीं कहते कि प्रधान मंत्री आपको अलग से कुछ कहें तो हम नहीं देंगे। देंगे तो हम तो एक-आध और भी बोरा सिलाकर दे देंगे, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। वे प्रधान मंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : बोरा थोड़े ही देते हैं आप, ड्राफ्ट कहते हैं।

श्री चतुरान मिश्र: ड्राफ्ट लेते हैं कि नहीं, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): ये बहुत खुश होंगे।

श्री चतुरानन मिश्र: हम जानते हैं। ...(**व्यवधान**)... अच्छा तो ब्रीफकेस की बात कर दें तो आपको पसंद है। अच्छा कांग्रेस वाले के कहने पर हम बोरा हटाकर ब्रीफकेस कर देते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी मामला सूटकेस तक पहुंच जाएगा, आप समाप्त करिए।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने कहा कि हमको मत कहिए, अभी थोड़े ही दिन तो हुए हैं उधर से इधर आए, आप काहे को हमको तंग करते हैं।

एक बात है जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। अब उड़ीसा सरकार इसको उचित समझे या जैसा चाहे समझे, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पीने के पानी के बारे में हमने जरूर कहा, उन लोगों ने सूची दी और हुआ कि दो महीने में हम इसको पूरा करेंगे। उस पर हमने कहा कि अगर आप एडिशनल फंड भी चाहते हैं तो दो महीने नहीं एक ही महीने में कीजिए। वह करीब ढाई हजार चापा कर लगाने की बात थी, हमने कहा कि रिंग मशीन्स बनाकर के, कुछ उनके पास है, कुछ प्राइवेट से लेकर भी इसको पूरा कर दीजिए। मेरी सूचना के मुताबिक वे लोग ऐसा कर रहे हैं और सिंचाई के काम के बारे में हम आपको बता दें कि करीब 4000 लिफ्ट इरीगेशन का काम जो है, उसको अभी किया है इस पीरियड में और 3600 बोर वैल्स जो हैं, वह अभी तक किया जा चुका है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह सरकार काम नहीं कर रही, आप देख रहें कि गीयर-अप है और भी ज्यादा होना चाहिए, सबमिट कीजिए, हम चाहते हैं कि हो।

दो बातें जिनकी हम चर्चा करना चाहते थे, एक यह कि बाहर से कुछ लोग मदद करना चाहते थे। उसमें रिपोर्ट मिली थी कि कलेक्टर वगैरह नहीं चाहते। हमने उस चीफ सैक्रेटरी को कह दिया है, मुख्य मंत्री से उस पर बात नहीं हुई है, हमारे पास दो नाम आए हैं। एक हमारे नौ सेना के जो चीफ हैं, उनकी वाइफ का, उनका पूरा नाम हम भूल रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम वहां पर कैम्प लगाकर के, नौ सेना वाले भी जाएंगे, एडमिरल जो हमारे चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम जाने के लिए तैयार हैं, फ्री किचन खोलेंगे हम वहां। तो हमने खबर कर दी है, अब वहां की सरकार ही कहेगी कि कैसे हो। दूसरा नाम हमारे पास आया है कांचीपुरम के शंकराचार्य के यहां से। तो हमने वहां के रिवेन्यू मिनिस्टर को यह कन्वे कर दिया है, लेंका साहब पहले हमारे मंत्री ही थे, कि आप लोग चाहें तो ये दोनों मदद के लिए तैयार हैं। उनको हमने कन्वे कर दिया है कि ये लोग आपको मदद देने के लिए तैयार हैं और हमने वहां के लोकल एम०पी० मिस्टर भगत को भी फोन पर कह दिया है कि आप इनसे मदद लीजिए। यह बात ठीक है कि वहां ऐडमिनिस्ट्रेशन को टाईट करने की जरूरत है। वहां दिक्कत यह आ रही है कि जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, उनकी डेथ ज्यादा हो रही है। जवान तो भागकर कहीं चला जाएगा मगर बच्चे और बूढ़े कहां जाएंगे। तो अब समस्या यह है कि हम इन्हें कैसे बचाएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): पीठासीन हुए पनैडर के इंतजाम के लिए भी हमने बातचीत की है। अभी हमने अपने यहां से यह किया है कि हमारी एक स्कीम हार्टिकल्चर की है, उसकी एक टीम हमने वहां भेजी है और वह सर्वे करके आई है। मेरा ख्याल है कि इस हफ्ते के अंत तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब उसके मुताबिक हम काम करेंगे। हमने राज्य सरकार से कहा कि आपने 585 करोड़ रुपए की जो मांग रखी है क्या वह सफिशियेंट है इतने लोगों के लिए क्योंकि अगली फसल तो जुलाई तक ही आ पाएगी। इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप बताइए कि इस अवधि के लिए आपको कितनी मदद चाहिए, हम उसके हिसाब से आपको सहायता देंगे।

श्री राघवजी: मध्य प्रदेश सरकार ने आपसे जो सहायता मांगी थी, उसके बारे में आपने नहीं बताया।

श्री चतुरानन मिश्र: अभी यहां हम उड़ीसा के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि आपके पास कैलेमिटी रिलीफ फंड का 51 करोड़ रुपया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 38 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट का 12 करोड़ है। सी०आर०एफ० की 3 इंस्टालमेंट्स हम रिलीज कर चुके है और चौथी क्वार्टरली इंस्टालमेंट 9.58 करोड़ रुपए की है जो 1.1.97 को ड्यू है।

श्री राघवजी: अतिरिक्त क्या दिया है आपने?

श्री चतुरानन मिश्र: हम नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड से देते है तो क्या कोई वरदान देते हैं? यह अतिरिक्त ही तो दे रहे हैं। इनको भी दिया है, आपको भी दिया है लेकिन कम से कम खर्चा करके आप रिपोर्ट तो दे दीजिए कि रूपया खर्च हो गया। इसके अलावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अगस्त से मांग थी, किसी में 50 लाख, किसी में 25 लाख, वह भी हमने दे दिया है। यहां मुख्य प्रश्न तो उड़ीसा का था, इसलिए हमने ज्यादा कवरेज उड़ीसा को दिया है और जगह इस तरह की विपदा नहीं है जैसी उड़ीसा में है।

श्री राघवजी: मुख्यमंत्री ने अलग से रिपोर्ट भेजी है। 100 करोड़ रुपए के लिए।

श्री चतुरानन मिश्र: रिपोर्ट आ जाएगी तो हम सेंट्रल टीम भेज देंगे। वह जाकर रिपोर्ट ले आए तो फिर हम दे देंगे। हम थोड़े ही जांचने जाते हैं, हम तो टीम भेज देते है। वे वहां के अफसरों के साथ बातचीत कर लेते है। अफसर तो वही हैं। आप राज कीजिएगा, हम राज करेंगे, अफसर तो वही हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है और यही साधन रिलायबल है जिसको लेकर हम सबको काम करना है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मुझे यही कहना है कि यह बहुत गंभीर समस्या है। इस पर सदन ने आज विचार किया है और आगे भी सदन इस पर विचार करेगा कि इस समस्या से हम कैसे जुझें। इस पर लांग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। आप भी सोचिए। हम भी सोचेंगे ताकि कोई रास्ता निकले। हम सभी लोगों का कर्तव्य है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, कि हम यह सोचें कि जो भी भूखे लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी मदद कैसे की जाए। हम सब लोग मदद करें और इस विपत्ति का मुकाबला हम लोग करें और इस ढंग से करें जिसमें हमारी प्रतिष्ठा बची रहे, यही हमको आपसे अनुरोध करना।

THE VICE CHAIRMAN (SANATAN BISI): Thank you, Mr. Minister. ....*(Interruptions)*.... No further clarifications. We now take up Special Mentions. Members have been waiting for it for a

long time. Shrimati Anandiben jethabhai Patel. The hon. Member is not present.

Shri Lakkhiram Agarwal.

SPECIAL MENTIONS

Need to Create Separate State of Chhatlisgarh

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के उस इलाके की बात करना चाहता हूं जहां करीब दो करोड़ की आबादी है और जहां की आबादी अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। इस इलाके में खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, कृषि भूमि तथा जल वगैरह भरपूर होने के बावजूद और आजादी के 50 साल बाद भी यह इलाका आज विकास के लिए छटपटा रहा है, विकास के लिए तड़फ रहा है और इसके साथ न्याय नहीं हो पाता और इसके कारण आज उस क्षेत्र के लोगों में यह मांग प्रबल हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब तक अलग निर्माण नहीं होगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीगढ़ के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं किया जाता। छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश सारे देश मे सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की हाई कोर्ट जबलपुर में है और एक हाई कोर्ट की बैंच ग्वालियर और इंदौर में है। लेकिन दो करोड़ की आबादी में आज तक रायपुर में या छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट की खण्ड पीठ प्रारम्भ नहीं की गई है। जबकि जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन ने उसकी सिफारिश की है। इस प्रकार वहां के लोगों को न्याय भी सुलभ नहीं मिल पाता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में दसवें रेलवे जोन की मांग आज से वर्षों पहले थी और अनेक भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने भी यह बात कही थी कि जब देश में दसवां रेलवे जोन होगा तो बिलासपुर को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि सारे देश में बिलासपुर रेलवे मंडल सर्वाधिक आय देने वाला है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में नए जोन बने हैं, 9 की जगह 15 जोन हो गए लेकिन यहां पर भी न्याय नहीं हुआ और बिलासपुर में कोई रेलवे जोन नहीं बना। इसी प्रकार से उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां की जो सम्पदा है उसको विदेशी लोगों द्वारा लूटने की तैयारी की जा रही है। दुनियां का जो सर्वश्रेष्ठ लोह अयस्क था वह वास्तव में एक निजी फर्म को, अप्रत्यक्ष रूप से एक विदेशी कम्पनी के हाथ में दे दी गई है, जबकि सरकार को वहां इस्पात कारखाना लगाना चाहिए था। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देवभोग में एक बहुत बड़ी हीरा खदान निकली है जो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी रत्नगर्भा जमीन से निकली है। लेकिन उसको भी मध्य प्रदेश सरकार विदेशी कम्पनियों को पिछले दरवाजे से दक्षिण अफ्रीका की डी०बीचर्स कम्पनी को देने की तैयारी कर रही है। इन सब बातों को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में भयंकर आक्रोस है, निराशा है। वह चाहते है कि इस दो करोड़ की आबादी का क्षेत्र जब तक अलग राज्य घोषित नहीं होगा, यह विकास के लिए ऐसे ही तड़फता रहेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जहां दो करोड़ की आबादी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको भोपाल राजधानी जाने के लिए 900 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहां का एक-एक जिला इतना बड़ा है, जो बस्तर जिला है वह केरल राज्य से भी बड़ा हमारा जिला है। एक-एक जिले में दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ किलोमीटर दूरी से जाना पड़ता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा तथा इसके लिए मध्य प्रदेश विधान सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो चुका है कि छत्तीसगढ़ का राज्य अलग निर्माण हो मेरी मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य का अलग निर्माण किया जाए।

श्री राघवजी: (मध्य प्रदेश) मैं भी अपने-आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

6.00 P.M.

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय लकीराम जी ने जो प्रश्न उठाए हैं छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने, वहां हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने और बिलासपुर में रेलवे जोन की स्थापना करने के बारे में, मैं स्वयं को इनसे सम्बद्ध करता हूं और इनका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के जो प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने पंद्रह अगस्त को लाल किले से उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी और वे भूल गए कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। वहां सिर्फ दोहन हो रहा है और विकास का कुछ कार्य नहीं हो रहा है। जैसा लकीराम जी ने कहा कि जब तक छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र राज्य घोषित नहीं किया जाएगा तब तक वहां की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, यह ठीक ही है।